न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली – प्रार्थी

बनाम

1 गोपी
2 निहाल
3 जनमेद
} पि. सूका
4 कलावती वेवा सूका

} जातियान मीना निवासीयान बड़ापुरा (भावली) तहसील मासलपुर जिला करौली

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अंतर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक–07.10.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर ने अप्रार्थीयान के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि आराजी खसरा नंबर 302/2 रकबा 05 विस्वा ग्राम भावली तहसील मासलपुर का प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। यह कि आराजी खसरा नंबर 302 रकबा 15 विस्वा ग्राम भावली सम्वत् 2015 एवं इसके पश्चात् गै. मु. नाली दर्ज रिकॉर्ड था परन्तु जमाबन्दी सम्वत् 2034–2037 तक में नामांतरकरण संख्या 865 किस्म बारानी–3 श्री सूका पुत्र गंगाधर मीना निवासी बड़ापुरा (भावली) के नाम जरिए आवंटन से दर्ज कर दिया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में जरिये विरासत गोपी, निहाल जनमेद पि. सूका कलावती वेवा सूका मीना सा. बड़ापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार से यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 के द्वारा नदी, नाले, जलाशय आदि की भूमि जो दिनांक 15.08.1947 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को वापस सरकारी भूमि में दर्ज करने एवं इसके बाद हुए परिवर्तन को अवैध घोषित किए जाने के निर्देश हैं। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आराजी खसरा नंबर 302/2 रकबा 05 विस्वा बाके ग्राम भावली को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाली दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, जमाबन्दी सम्वत् 2015, 2034–37, नामांतरकरण संख्या 865 दिनांक 06.06.1981, हाल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 की प्रति संलग्न की है।

तहसीलदार मासलपुर के उक्त प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीयान की गई।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 व 4 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 302/2 वाके ग्राम भावली तहसील मासलपुर में उक्त भूमि कभी भी गैरमुमकिन नाली/नाले की नही रही है। पचासों वर्षो से उक्त भूमि काश्ता भूमि रही है। उक्त भूमि में पचासों वर्षो से उक्त भूमि काश्ता भूमि रही है। उक्त भूमि में पचासों वर्षो से फसल काश्त हो रही है जिसमें प्रार्थीगणों का व अपने परिवार का जीवन यापन हो रहा है। प्रार्थीगण अन्न पैदा कर जीवन–यापन करते चले आ रहे है। प्रार्थीगणों ने उक्त भूमि में चारों तरफ से हक बंदी कराकर सिंचाई का साधन कराकर लाखों रूपये खर्च किये है। प्रार्थीगणोंका बुढापा का यही एक मात्र रोजगार का जरिये है। इस भूमि के अलावा प्रार्थीगणों के पास रोजगार का अन्य कोई जरिये नही है। प्रार्थीगणों को दिया गया नोटिस निराधार गलत है। उक्त खसरा नम्बर 302/2 काश्ता भूमि है। प्रत्येक वर्ष प्रार्थीगणों के कृषि कर पचासों वर्षो से अपने परिवार

जिला कलक्टर
करौली

का गुजारा करते चले आ रहे हे। प्रार्थीगण अन्न पैदा कर अपना व अपने परिवार का जीवन–यापन करते चले आ रहे है। इस कृषि भूमि के अलावा आय का अन्य कोई स्त्रोत/जरिया नही है। उक्त भूमि कभी भी नाला/नाले की भूमि नही रही है। नकल जमाबंदी मे भी नाले/नाले का कोई नोट/अंकन नही है। नकल गिरदावरी में लगातार स्वयं से फसल काश्त दर्ज हो रही है जो प्रार्थीगणो के नाप प्रत्येक वर्ष में फसल काश्त का इन्द्राज चलता चला आ रहा है एवं रिकार्ड के साथ–साथ मौके पर भी फसल काश्त हो रही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि नाले/नाली की भूमि नही है। रेफरेन्स भूमि नही है। उक्त भूमि का रेफरेन्स होने का नोटिस गलत तौर पर प्रार्थीगणों को दिया गया है जो नोटिस कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण गरीब किसान काश्तगार आदमी है। उक्त भूमि से अन्न पैदाकर बडी मुश्किल से अपने व अपने परिवार का जीवन–यापन करते है। इसी भूमि के अलावा जीवन–यापन करने का कोई माध्यम/स्त्रोत नही है। मौके एवं रिकार्ड में भी नालें/नाला का कोई रिकार्ड नही है। मौका व रिकार्ड के विपरीत है। मौके पर पचासों वर्षो पूर्व से फसल काश्त हो रही है एवं उक्त भूमि काश्त भूमि है। गैरमुमकिन नाला से उक्त भूमि का कोई सम्बन्ध ताल्लुक नही है। पचासों वर्षो पूर्व से फसल काश्त प्रार्थीगण करते चले आ रहे है। जहां फसल काश्त लम्बे समय से हो रही है।तो उक्त भूमि को काश्त भूमि माना गया है। अंत में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 2 के बावजूद सूचना असालतन/वकालतन उपस्थित नहीं होने एवं ना ही जवाब पेश करने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करते हुए मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2015 के अनुसार सिवायचक बिला लगानी आराजी खसरा नंबर 302/2 रकबा 05 विस्वा गै.मु. नाली दर्ज रिकॉर्ड है। नकल नामांतकरण संख्या 865 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 302/2 रकबा 05 विस्वा किस्म बारानी सोयम श्री सूका पुत्र गंगाधर मीना निवासी बड़ापुरा (भावली) के नाम दिनांक 106.06.1981 को स्वीकार किया है। नकल जमाबन्दी सं0 2071 लगायत 2074 के अनुसार खसरा नंबर 302/2 रकबा 05 विस्वा किस्म बारानी सोयम गोपी, निहाल, जनमेद पि. सूका कलावती बेवा सूका मीना निवासी बड़ापुरा तहसील मासलपुर जिला करौली अंकित है। इससे स्पष्ट है कि यह जमीन पूर्व में गै. मु. नाली दर्ज थी जिसकी किस्म परिवर्तन के बाद भूमि आवंटित की गई है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी, नाले, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं इस प्रकार यह अंकित हस्तांतरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0 सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2004 के विस्तृत निर्णय में उल्लेखित किया है कि All the lands shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15-08-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-08-1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत है।

अतः भूमिधारी तहसीलदार मासलपुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 L.R. Act 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम भावली की आराजी खसरा नंबर 302/2 रकबा 05 विस्वा को वापस राजकीय भूमि गै.मु. नाली दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

07/10/19

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली